

NHRC ने खाद्य वषािकतता रपिर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पटना के एक आश्रय गृह में भोजन वषािकतता के कारण लोगों की मौत के बारे में मीडिया रपिर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। आश्रय गृह को बिहार सरकार के दवियांगजन सशक्तिकरण नदिशालय द्वारा वतितपोषति किया जाता है।

मुख्य बदि

- मानवाधिकार उल्लंघन चति:
 - NHRC ने कहा कि मीडिया रपिर्ट में पीड़ितों के संबंध में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन को उजागर किया गया है।
 - आश्रय गृह के अधिकारी वैध संरक्षक के रूप में वहां रहने वालों को उचित देखभाल प्रदान करने के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- बिहार सरकार को नोटिस:
 - NHRC ने बिहार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर वसितृत रपिर्ट मांगी है।
 - रपिर्ट में पीड़ितों की स्वास्थ्य स्थिति तथा यह जानकारी शामिल होनी चाहिये कि क्या पीड़ितों या उनके परिवारों को कोई मुआवज़ा प्रदान किया गया है।
 - मुख्य सचिव को भवषिय में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये उठाए गए या प्रस्तावति कदमों के बारे में NHRC को सूचित करने के लिये भी कहा गया है।
- आश्रय गृह में अस्वच्छ स्थितियाँ:
 - एक मीडिया रपिर्ट के अनुसार, नरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने आश्रय गृह में अस्वास्थ्यकर परस्थितियों का सामना किया।
 - रपिर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि आश्रय गृह में भोजन तैयार करते समय उचित स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जा रहा था।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

- परिचय:
 - यह व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरमा से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
 - भारतीय संविधान और अंतरराष्ट्रीय प्रसंवदाओं द्वारा गारंटीकृत अधिकार, जनिहें भारतीय न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है।
- स्थापना:
 - 12 अक्तूबर, 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 के तहत स्थापति।
 - मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 और मानव अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधति।
 - मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षण के लिये अपनाए गए पेरसि सिद्धांतों के अनुरूप स्थापति।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

NHRC के अनुसार, मानवाधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार हैं जिनकी सुनिश्चितता संविधान द्वारा की गई है या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित है, जो भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किये जाने योग्य हैं।

- भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी
- **स्थापना:** वर्ष 1993 (मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुरूप)
- **अधिनियम:** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993

राज्य मानवाधिकार आयोग

- PHR अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित
- **सदस्यों की नियुक्ति:** राज्यपाल द्वारा
- **सदस्यों का निष्कासन:** राष्ट्रपति द्वारा

मानवाधिकार दिवस: 10 दिसंबर

कार्य

- ⌚ मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी शिकायतों की जाँच करना
- ⌚ मामलों का स्वतः संज्ञान
- ⌚ मानवाधिकार कार्यान्वयन की समीक्षा और अनुशंसा करना
- ⌚ मानवाधिकार जागरूकता फैलाना
- ⌚ मानवाधिकार मुद्दों पर अध्ययन करना, रिपोर्ट प्रकाशित करना

शक्तियाँ

- ⌚ व्यक्तियों को समन देना, गवाहों की जाँच करना और साक्ष्य प्राप्त करना
- ⌚ यह सुनिश्चित करने के लिये जेलों और अन्य संस्थानों का निरीक्षण करना कि यहाँ स्थितियाँ मानवीय हैं
- ⌚ मानवाधिकारों से संबंधित न्यायालयी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना

NHRC के सदस्य

संघटन

- ⌚ 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य
- ⌚ **अध्यक्ष:** सेवानिवृत्त CJI/SC के न्यायाधीश
- ⌚ **प्रशासनिक प्रमुख:** महासचिव

नियुक्ति

- ⌚ **6 सदस्यीय समिति** (प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, केंद्रीय गृहमंत्री और संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता) की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सभी सदस्य

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक

गठबंधन (GANHRI) में स्थिति:

- NHRC को वर्ष 1999 से 'A' श्रेणी का दर्जा प्राप्त है
- 'A' श्रेणी की स्थिति: वर्ष 2006, 2011 और 2017 में बरकरार रही
- 'A' स्थिति का निलंबन: वर्ष 2023 और वर्ष 2024

कार्यकाल

- ⌚ 3 वर्ष / 70 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)

निष्कासन

- ⌚ राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को निष्कासित कर सकता है
- ⌚ **आधार:** दुर्व्यवहार या अक्षमता के आरोप सिद्ध होने पर



Drishti IAS